झारखण्ड सरकार

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची
वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक :19M(05)C(19-20)-33 दिनांक : 24/01/2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची/ निदेशक, वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय :– **झारखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019–20 अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली "वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य" योजना के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यों हेतु कुल रू0 442.285 लाख (चार करोड़ बयालिस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub- Allotment)।**

प्रसंगः– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 24.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 99/आ0 दिनांक 25.10.2019।

2. इस कार्यालय का पत्रांक 547 दिनांक 30.10.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 04–वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष –103– राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, **उप–शीर्ष– 05–"वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य"** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से क्षमता विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशि कुल **रू0 442.285 लाख (चार करोड़ बयालिस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र का अतिरिक्त उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240604103050103	122.707
देशीय यात्रा व्यय	19S240604103050213	1.627
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103050323	299.629
परामर्शी शुल्क	19S240604103050331	18.432
कुल :–		**442.285**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक/निदेशक होंगे, जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने अधीनस्थ कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी एवं इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक– 2** पर द्रष्टव्य् है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 547 दिनांक 30.10.2019 द्वारा संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कतिपय इकाईवार राशि का आवंटन सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पूर्व में किया जा चुका है। सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को संलग्न **अनुलग्नक–1** पर वर्णित कार्यों के पक्ष में अतिरिक्त इकाईवार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

4. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

24.01.2020

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरुप किया जाएगा। संबंधित सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ वन प्रमण्डलों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह लगातार समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि राशि की निकासी एवं व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रकिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही हो। साथ ही, सामग्री की राशि का भुगतान विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानो के अनुरुप किया जायेगा।

15. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या **GeM** या निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

24.01.2020

17. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जाएगा। नगद रुप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि किसी ऐसी योजना जिसके विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे श्रोत से भी राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, वैसी स्थिति में इसकी राशि की निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना नियंत्री पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमण्डलीय मासिक लेखा एवं वर्गीकृत मासिक सार (60P) वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

21. कैम्पा के तहत् संचालित योजनाओं की वाँछित सूचनाओं (यथालागू तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सूचनाएं और Geo-cordinated Point & Polygon, जो भी लागू हो, सहित) को e-green watch portal पर अपलोड किया जायेगा।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 29.08.2018 एवं पत्रांक 503 दिनांक 24.09.2019 द्वारा भेजी गयी है–

(a) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।

(b) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत् जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(c) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियेजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
24.01.2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
24/01

ज्ञापांक– 19M(05)C(19-20)-33 **दिनांक–** 24/01/2020

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

24.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

24/01

ज्ञापांक– 19M(05)C(19-20)-33 **दिनांक–** 24/01/2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ हजारीबाग/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

24.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची

24/01

अनुलग्नक – 1

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2019–20 में उपशीर्ष "05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य"

(राशि लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	क्षमता विकास											
		कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची	वानिकी मुद्दों एवं क्षमता विकास पर प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन	7.843	क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु ऑडोटोरियम / ट्रेनिंग हॉल का निर्माण	19.370	क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु सौर ऊर्जा की सीापना	30.827	चाहरदीवारी का निर्माण	111.057	---	---	एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल का विकास और उसके विश्लेषण द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	18.222
2	निदेशक, वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	---	---	क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु ऑडोटोरियम / ट्रेनिंग हॉल का निर्माण	46.142	क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु सौर ऊर्जा की स्थापना	30.444	---	---	मृदा–सह–जल परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण	26.916	एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल का विकास और उसके विश्लेषण द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	10.782
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	---	---	क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु ऑडोटोरियम / ट्रेनिंग हॉल का निर्माण	19.224	क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु सौर ऊर्जा की स्थापना	30.444	---	---	---	---	एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल का विकास और उसके विश्लेषण द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	10.782
	कुल योग		**7.843**		**84.736**		**91.715**		**111.057**		**26.916**		**39.786**

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	क्षमता विकास								सकल योग				
		कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	कार्य विवरणी	राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	यात्रा व्यय	परामर्शी शुल्क	कुल राशि
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची	आर्बोरेटम का विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	10.857	बम्बुसेटम विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.982	मृदा संरक्षण का विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.982	मॉडल वाटरशेड प्रदर्शन क्षेत्र विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.101	58.982	147.102	---	12.157	218.241
2	निदेशक, वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	आर्बोरेटम का विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	10.782	बम्बुसेटम विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.937	मृदा संरक्षण का विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.937	मॉडल वाटरशेड प्रदर्शन क्षेत्र विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.935	45.295	95.031	1.627	3.922	145.875
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	आर्बोरेटम का विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	10.782	बम्बुसेटम विकास और इसके द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	6.937	---	---	---	---	18.430	57.386	---	2.353	78.169
	कुल योग		32.421		20.856		13.919		13.036	122.707	299.519	1.627	18.432	442.285

24.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

24/01

अनुलग्नक - 2.

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 19M(05)C(19-20)/33 दिनांक - 24-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103050103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82617	DRNFWL009 SRI ASHOK KUMAR DUBEY DY.CF.TRAINING RANCHI	5,898,200.00 रुपये अठावन लाख अठानवे हजार दो सौ
2	S 19 240604103050103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82619	HZBFWL020 SMITHA PANKAJ DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB	4,529,500.00 रुपये पैंतालीस लाख उन्तीस हजार पाँच सौ
3	S 19 240604103050103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82620	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	1,843,000.00 रुपये अठारह लाख तीरयालीस हजार

योग: 12,270,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बाइस लाख सत्तर हजार सात सौ

24.01.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND

RANC

RunDate : 24/1/2020

24/01.

पत्र संख्या - 19M(05)C(19-20)/33 दिनांक - 24-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240604103050213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82624	HZBFWL020 SMITHA PANKAJ DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB	162,700.00 रुपये एक लाख बासठ हजार सात सौ
5	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82621	DRNFWL009 SRI ASHOK KUMAR DUBEY DY.CF.TRAINING RANCHI	14,710,200.00 रुपये एक करोड सैतालीस लाख दस हजार दो सौ
6	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82622	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	9,503,100.00 रुपये पिनचानवे लाख तीन हजार एक सौ

योग: 24,376,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड छाछठ लाख छयालीस हजार सात सौ 36,646,700.00

24.01.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF.CAMPA JHARKHAND

69.97.151.163 RANC [redacted]

24/01

पत्र संख्या - 19M(05)C(19-20)/33 दिनांक - 24-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82623	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	5,738,600.00 रुपये सत्तावन लाख अड़तीस हजार छः सौ
8	S 19 240604103050331 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 31 - परामर्शी शुल्क **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82625	DRNFWL009 SRI ASHOK KUMAR DUBEY DY.CF.TRAINING RANCHI	1,215,700.00 रुपये बारह लाख पंद्रह हजार सात सौ
9	S 19 240604103050331 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 31 - परामर्शी शुल्क **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	82626	HZBFWL020 SMITHA PANKAJ DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB	392,200.00 रुपये तीन लाख बयानवे हजार दो सौ

योग: 7,346,500.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड उनचालीस लाख तिरनावे हजार दो सौ 43,993,200.00

24.01.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND

59,97,151,163 RANC ... Ranchi [redacted]

24/01

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240604103050331 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 31 - परामर्शी शुल्क **State Scheme**	82627	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	235,300.00 रुपये दो लाख पैंतीस हजार तीन सौ

State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770)

Centeral Scheme : NA

योग:		235,300.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड बयालीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ	44,228,500.00

24.01.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND

59.97 151.163 PCC RANC

anch

24/01.

[redacted]